



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 2014/चैत्र 17, 1936

No. 109]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 2014/CHAITRA 17, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2014

फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/बीआईडी/4/2013-प्रि-बिड.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में,—

(क) विनियम 7 में,—

(i) उप-विनियम (1) में,—

(क) खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“(ग) सफल बोलीदाता द्वारा बिछाए जाने वाले पीएनजी घरेलू कनेक्शनों और इंच-किलोमीटर पाइपलाइन के आधारभूत ढांचे के लिए न्यूनतम कार्यक्रम।

पीएनजी घरेलू कनेक्शनों के लिए आधारभूत ढांचा – बोर्ड पीएनजी घरेलू कनेक्शनों के लिए आधारभूत ढांचे के लक्ष्य पर कार्य करेगा जोकि सफल बोलीदाता द्वारा अनुसूची घ में प्राधिकार प्रदान करने की तारीख से प्रथम पाँच वर्षों के दौरान संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के परिवारों का पाँच प्रतिशत प्राप्त किया जाएगा, नामतः :—

(i) सफल बोलीदाता द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष और पंचम वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य का क्रमशः पंद्रह प्रतिशत, पचास प्रतिशत, सत्तर प्रतिशत और एक सौ प्रतिशत प्राप्त करेगा; और

(ii) बोर्ड पाँच वर्ष की अवधि में लक्ष्य को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में ले जाने पर विचार कर सकता है।

इंच-किलोमीटर पाइपलाइन – बोर्ड इंच-किलोमीटर पाइपलाइन के लक्ष्य पर कार्य करेगा, जिसके लिए स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन दोनों पर निम्नलिखित के अनुसार विचार किया जाएगा, नामतः :—

(i) 1,000 वर्ग किलोमीटर से कम या उसके बराबर भौगोलिक क्षेत्रों के लिए, संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के वर्ग किलोमीटर को 0.65 से गुणा किया जाएगा;

(ii) 1,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक और 5,000 वर्ग किलोमीटर से कम या समकक्ष भौगोलिक क्षेत्रों के लिए, संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के वर्ग किलोमीटर को 0.36 से गुणा किया जाएगा बशर्ते कि न्यूनतम पाइपलाइन 650 इंच-किलोमीटर हो;

(iii) 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों के लिए संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के वर्ग किलोमीटर को 0.07 से गुणा किया जाएगा बशर्ते कि न्यूनतम पाइपलाइन 1,800 इंच-किलोमीटर हो।

उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित किए गए इंच-किलोमीटर पाइपलाइन के लक्ष्य को सफल बोलीदाता द्वारा अनुसूची घ में प्राधिकार प्रदान करने की तारीख से प्रथम पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त किया जाएगा, नामतः :—

(i) सफल बोलीदाता प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष और पंचम वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य का क्रमशः बीस प्रतिशत, पचास प्रतिशत, अस्सी प्रतिशत, नब्बे प्रतिशत और एक सौ प्रतिशत प्राप्त करेगा जिसमें सभी प्रभार क्षेत्र शामिल होंगे; और

(ii) बोर्ड पाँच वर्ष की अवधि में लक्ष्य को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में ले जाने पर विचार कर सकता है।”

के. राजेश्वर राव, ओएसडी (आर)

[विज्ञा.-3/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को सा.का.नि. 196(अ) दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् इन्हें सा.का.नि. 800(अ.) दिनांक 19 नवंबर, 2008, सा.का.नि. 295(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2009, सा.का.नि. 478(अ) दिनांक 7 जून, 2010, सा.का.नि. 605(अ) दिनांक 19 जुलाई, 2010 और फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/विनियम/रिव्यू-2011/ 2012-III दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2014

F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014.

